being utilised for the purpose May I know from the hon Minister whether the Government has got any programme of providing protected godowns to the foodgrains that are being produced in the country so that they are not exposed to the vagaries of monsoon and so that they may not spend huge amounts by way of rent to private traders I would like to know whether they have got any programme and how much amount is involved in it and whether they are going to provide enough space for the storage of these foodgrains

SHRI BHANU PRATAP SINGH The programme is very much there

MR SPEAKER The statement shows that a large number of godowns will be built

SHRI BHANU PRATAP SINGH Some we are getting and we are also making under World Bank Scheme I can assure the House that the storage under CAP will be progressively reduced very much But at the same time there will remain some storage under CAP for the simple reason that there are certain peak seasons when we have to hold stocks for a few months and under those conditions the CAP arrangements is the best and most economical

धान कूटन उद्योग विनियमन तथा लायसेंसिंग अधिनियम (राइस मिलिंग इन्डस्ट्रीज रेग्युलेशन एन्ड लायसेंसिंग एक्ट)

*665 **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने 4 अप्रैल 1977 29 दिसम्बर, 1977 और 24 जनवरी 1978 को केन्द्र सरकार से धान कूटन उद्योग विनियमन तथा लायसेंसिंग अधिनियम (राइस मिलिंग इण्डस्ट्रीज रेग्युलेशन एण्ड लायसेंसिंग एक्ट) में संशोधन करने की मांग की है और यदि हां, तो गुजरात सरकार द्वारा की गई तारीख वार मांगों का ब्यौरा क्या है

(ख) उपरोक्त मांगों में से कौन कौन सी मांग किस किस तारीख को तथा किस प्रकार स्वीकार की गई और कौन कौन सी अस्वीकार की गई और उनके कारण क्या है तथा अस्वीकृत मांग कब तक स्वीकार कर ली जायेंगी

(ग) क्या गुजरात में धान का उत्पादन बहुत ही कम होता है और यदि हां तो ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू खपत के लिये धान कूटन के उपयोग में लाये जाने वाले मिलर्स का विनियमन तथा लायसेंसिंग अधिनियम से कब मुक्त किया जायेगा और

(घ) गुजरात में ग्रामीण जनता की सुविधा के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House

Statement

(*a*) *and* (*b*): The nature of demands made by the Government of Gujarat in their communications referred to in the question and the action taken thereon are indicated below :—

NATURE OF DEMANDS	ACTION TAKEN
(1)	(2)
(1) *Letter of* 1 *April*, 1977	
(i) The State Government may be allowed to grant permits for the establishment of new single huller rice mills without being required to instal modern machinery.	1. This was not accepted. In view of the advantages of better out turn and less brokens through the use of modern equipments as compared to single huller mills of conventional type the State Government was informed on 28-5-77 that permission for establishment of new single huller mills will not be in the national interest.
(ii) The date of modernisation of existing single huller mills be extended for a period of 5 years from 30th April, 1977.	Single huller mills were brought under the purview of modernisation programme on 29th July, 1976. The State Government was informed on 28-5-77 that a maximum period of 5 years i. e. upto 28th July, 1981 was available under the rules for modernisation of existing single huller mills
(iii) The date of modernisation in respect of sheller type rice mills be extended for a further period of 2 years	The State Government was informed on 28-5-77 that the question of extension of time limit for modernisation of sheller mills was under consideration of the Government of India. It has since been decided to extend the time limit upto 30th April, 1980 in respect of rice mills of sheller, sheller- cum-huller and batteries of huller types licensed prior to 30th April , 1975. The Government of Gujarat and other State Governments have been informed of this decision in a letter dated 4-4-78.
(2) *Telex dated 27th December*, 1977. (not 2nd December, 1977 as referred to in the Question).	2. A decision was taken and communicated to all State Government on the 19th December, 1977 to the effect that new single huller mills of 15 horse power and less operating in rural areas and handling dehusking of par-boiled paddy could be permitted to be establishment subject, however, to the condition that they would be required to instal modern equipments within a period of 5 years from the date of licence. The main reason for allowing time upto 5 years to hullers making par-boiled rice is that in the case of par-boiled rice the difference in yield between the traditional unit and the unit and the modern unit is not more than 1 per cent and, therefore, even if the traditional unit is allowed to extist the loss in out-turn is only marginal. But in the case of raw rice the difference in out turn between modern and traditional units can be as high as 6 per cent. It is in the

1	3
	national interest to see that losses of this magnitude are avoided. In view of this the State Government's proposal for extending the concession to single huller mills handling raw paddy was not agreed to and the State Government was informed of this by telex dated 30th December 1977.
(3) *Letter dated 24th January 1978*	
The State Government have requested that permit for single hullers may be allowed to be granted without any condition (especially of processing of par boiled and without modernisation.	For the reasons stated against (2) above the request of the State Government has not been acceed to and they are being informed accordingly.

(c) According to final estimates the production of paddy in Gujarat was of the order of 8.51 lakhs tonnes in 1976-77. In view of the advantages explained above it will not be possible to exclude the single huller mills in Gujarat from modernisation programme.

(d) Nationalised Banks have agreed to finance schemes of modernisation of rice mills including single huller mills on concessional rate of interest.

श्री धर्म सिंह भाई पटेल : माननीय मन्त्री जी ने अपने स्टेटमेंट के पन्ना 2 मद (2) में लिखा है—"ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत 15 अश्व शक्ति की और उससे कम की भूसी उतारने सम्बन्धी कार्य करती है का स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन शर्त यह होगी कि उन्हें लाइसेंस की तारीख में 5 वर्षों की अवधि के अन्दर आधुनिक उपकरण लगाने होंगे ....।"

तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं और बाजरा पीसने की छोटी सी फ्लोर मिल होती है उसके साथ सिर्फ पांच सौ रुपए की कीमत का छोटा सा हलर लगाया जाता है। इसको देहात के लोग घर में उपयोग के लिए पैडी डांगर में से चावल निकालने के काम में लाते हैं तो इस फ्लोर मिल के साथ सिर्फ पांच सौ रुपए की कीमत के लगे हुए या लगने वाले हलर को इस राइस मिलिंग इण्डस्ट्रीज रेग्युलेशन ऐंड लाइसेंसिंग ऐक्ट से क्या मुक्त किया जायेगा? यदि हां तो कब और यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

श्री भानु प्रताप सिंह : इसका मुख्य कारण यह है कि जो पुराने ढंग के राइस हुलर्स हैं उनमें चावल का बहुत नुकसान होता है लगभग 6 फीसदी चावल हम खो देते हैं जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है। इस नियम को बनाने का उद्देश्य यही है कि लोग 6 परसेंट चावल बचा सकें।

जहां तक यह प्रश्न है कि छोटे लोगों को कैसे मदद की जाये तो ऐसी मशीनें निकल रही हैं और उपलब्ध हैं जिनको छोटे पैमाने पर भी लगा करके चावल की बचत की जा सकती है। मैंने माननीय सदस्य से निवेदन भी कर दिया है कि यदि वे चाहें तो मैं उनको बताऊंगा कि किस प्रकार से छोटे पैमाने पर भी अच्छा चावल बनाते हुए चावल के नुकसान को बचाया जा सकता है।

श्री धर्म सिंह भाई पटेल : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट के मद (3) में कहा गया है कि गुजरात सरकार ने दिनांक 24 जनवरी, 1978 को अनुरोध किया है कि बिना किसी शर्त और बिना आधुनिकरण के सिंगल हलर्स के लिए परमिट देने की अनुमति प्रदान की जाये तो इसके बारे में सरकार क्या करना चाहती है?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन् मे बतलाना चाहता हू कि जो शर्तों के साथ दिया गया उसमे प्रमुख शर्त यह है कि अगर हुलर से काम करना है तो पार ब्वायल्ड राईस बनाये क्योकि इसमे ७ परसेंट का नुकसान नही होता है, 1 परसेन्ट से कम नुकसान होता है और वह नुकसान इतना कम है कि उसकी इजाजत हमने दे दी है। जिन राज्यो मे पार ब्वायल्ड राईस बनाया जाता है वहा इसका इस्तमाल हो रहा है लेकिन गुजरात मे पार ब्वायल्ड राईस नही बनाया जाता है

श्री मोहन धंय्या : अध्यक्ष महादय मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ अचल मे

MR SPEAKER This is about Gujarat

श्री मोहन धंय्या यह जो आदेश है हुलर्स के लिए उसके कारण सभी हुलर्स बन्द होने की स्थिति म आ गए है। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इससे चावल टूटते है लेकिन छत्तीसगढ अचल म, जो टूटा हुआ चावल होता है उसका गरीब लोग अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते है। क्या सरकार छत्तीसगढ के गरीब लोगो का ध्यान मे रखते हुए इस आदेश को वापिस लेगी ताकि हुलर्स चल सके और लोगो को रोजगार मिल सके ?

श्री भानु प्रताप सिंह : अभी आदेश वापिस लेने का कोई विचार नही है क्योकि ऐसी मशीन उपलब्ध है जिनसे अच्छा चावल बनाया जा सकता है साथ ही जो ब्रैन मिलता है उससे ब्रैन आयल भी मिल सकता है

High Altitude National Park and Sanctuary in Ladakh

*666 SHRIMATI PARVATI DEVI. Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a high altitude national park and a sanctuary in Ladakh; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) and (b) The Jammu and Kashmir Government have intimated that they are considering a proposal to set up a national park in Ladakh No details of the proposal for such a national park or in regard to setting up a sanctuary have however been received by the Government of India

श्रीमती पार्वती देवी अध्यक्ष महादय, लद्दाख मे पहाडी बैल, बकरिया और भेड होती है। बकरा से जो पश्मीना बनता है, वह सारी दुनिया मे प्रसिद्ध है। लद्दाख मे मारखोर आई बेक्स, मरमोट भाल और कयाग (हिरण) भी बडी सख्या मे पाय जात है। किन्तु उन की सख्या अब कम होती जा रही है। इन के शिकार पर कोई रोकथाम नही है। सरकार देश की इस अमूल्य धन सम्पदा की रक्षा के लिये क्या कदम उठा रही है ?

क्या केन्द्र सरकार लद्दाख मे जो पशु-पक्षी अब समाप्त होते जा रहे है, उन की रक्षा और सख्या बढाने के लिये तुरन्त केन्द्रीय स्तर पर कोई उपाय करेगी ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिये एक बोर्ड बना हुआ, है जो इस किस्म के पशुओ को सम्भाल कर रखने का काम करता है। इस बोर्ड ने उस एरिया का टूर किया था। उस के बाद एक और टीम गई, जिस मे मशहूर रक्षक डा० सलीम अली भी गये थे। उन्होने भी अपनी रिपोर्ट दी है। उस के मुताबिक यहा से सुझाव भेजा गया कि "जागथाग" एरिया का नेशनल पार्क मे कन्वर्ट किया जाय ताकि इस तरह के जानवरों को खत्म होने से बचाया